



बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, 2224529 फैक्स नं०-2224529

ई-निविदा सूचना संख्या-33/2015

1 निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय 09-05-2015 के अपराह्न 11.00 बजे से। 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय 11-05-2015 को अपराह्न 17.00 बजे तक 4. निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय : 13-05-2015 को अपराह्न 15.00 बजे तक। 5. निविदा की तलनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : 15-05-2015 को 15.30 बजे अपराह्न। 6. निविदा खोलने का स्थान-वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर। 7. निर्माण कार्य का व्योरा :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कृत राशि (लाख ₹ में)	अग्रघन की राशि ₹ में।	परिमाण विपत्र का मूल्य ₹ में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क ₹ में	कार्य समाप्ति का अवधि
1.	लखीसराय जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, लखीसराय में चहारदिवारी एवं मुख्य द्वार का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	224.03	448100	10000	5618	4 माह
2.	लखीसराय जिलान्तर्गत कजरा थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 6 एल0एस0आवास एवं 4 यू0एस0आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	225.00	450000	10000	5618	9 माह
3.	शेखपुरा जिलान्तर्गत केसर थाना में ग्रेड-III थाना भवन का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	100.97	202000	10000	5618	9 माह
4.	शेखपुरा जिलान्तर्गत केसर थाना में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	50.08	100200	10000	1124	7 माह
5.	शेखपुरा जिलान्तर्गत केसर थाना में 6 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	52.58	105200	10000	1124	7 माह
6.	शेखपुरा जिलान्तर्गत जयरामपुर मोड़ थाना में ग्रेड-III थाना भवन का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	91.71	183500	10000	5618	9 माह
7.	शेखपुरा जिलान्तर्गत जयरामपुर मोड़ थाना में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	50.67	101400	10000	1124	7 माह
8.	शेखपुरा जिलान्तर्गत जयरामपुर मोड़ थाना में 6 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	53.16	106400	10000	1124	7 माह
9.	बौका जिलान्तर्गत अमरपुर थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 6 एल0एस0आवास एवं 4 यू0एस0आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	225.00	450000	10000	5618	9 माह
10.	बौका जिलान्तर्गत जयपुर थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 6 एल0एस0आवास एवं 4 यू0एस0आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	225.00	450000	10000	5618	12 माह
11.	बौका जिलान्तर्गत फुलीडुमर थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 6 एल0एस0आवास एवं 4 यू0एस0आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	225.00	450000	10000	5618	12 माह
12.	बौका जिलान्तर्गत धौरैया थाना में ग्रेड-III थाना भवन का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	95.00	190000	10000	5618	9 माह
13.	बौका जिलान्तर्गत धौरैया थाना में 6 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	57.72	115500	10000	1124	7 माह
14.	बौका जिलान्तर्गत धौरैया थाना में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	51.06	102200	10000	1124	7 माह
15.	भागलपुर जिलान्तर्गत CTS नाथनगर परिसर में 300 महिला सिपाहियों के बेरक (ब्लॉक-1) का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	510.00	1020000	10000	16854	11 माह
16.	भागलपुर जिलान्तर्गत CTS नाथनगर परिसर में 300 महिला सिपाहियों के बेरक (ब्लॉक-2) का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	510.00	1020000	10000	16854	11 माह
17.	बौका जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, बौका में Fire fighting का कार्य	120.00	240000	10000	5700	3 माह
18.	बौका जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, बौका में Parad ground, एवं 11 अदद चापाकल अधिष्ठापन कार्य	75.00	150000	10000	5700	4 माह
19.	बौका जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, बौका में Firing range का कार्य	120.00	240000	10000	5700	4 माह
8.	10 लाख से ऊपर की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी। इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोःस्थापना के कार्यालय के वेबसाईट www.bpbcc.co.in / वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in तथा निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक-09-05-2015 के 11.00 बजे अपराह्न से प्राप्त की जा सकती है।					
9.	उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्राक्कानों के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी। परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 15,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 5,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए ₹ 1,000/- + 12.36 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ ही शामिल कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा। निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व प्रदान करना अनिवार्य है। निगम विलम्ब/निविदा अपलोड नहीं करने, ईटर्नमेंट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यातायात/छूटियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा।					
	शेष परिमाण विपत्र की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में मुगतेय दिनांक-11-05-2015 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा। प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो निविदा के सामने उपर अंकित है, को लौटाना नहीं जायेगा।					
	अग्रघन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक-13-05-2015 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा। ई-निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रघन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक 14-05-2015 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायेगा।					
	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समुचित कौटिक के निर्बंधित संवेदक एवं अन्य सरकारी विभाग के निर्बंधित संवेदक भी निविदा देने हेतु रूख होंगे, परंतु निर्बंधित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निवेश करना आवश्यक होगा।					
	विद्युतिकरण कार्य एवं विद्युतिकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतिकरण कार्य का लाईसेंस एवं पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।					
	विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को पार्टनर/सब कंस्ट्रक्टर के रूप में रखकर निविदा में भाग लिया जा सकता है।					
	निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक या कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता की निविदा अमान्य मानी जायेगी। परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रघन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।					
	किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अत्यकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी।					
	जो संवेदक निविदा में भाग लेने से बंचित है (Debar), अथवा जिनके पास किसी कारणवश पूर्व से आवंटित कार्य लम्बित रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं या कार्य शुरू नहीं किए हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।					
	प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रघन की राशि देय होगी। समुचित अग्रघन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी। अग्रघन की राशि छः वर्षों बचत प्रमाण-पत्र/ बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा।					
	नोट :- ई-निविदा-पत्र www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।					

₹0/- मुख्य अभियंता, पटना।